



## North Carolina Department Of Commerce Division of Employment Security Unemployment Insurance

माह/दिन/वर्ष

**Employer Name** 

Address line 1

Address line 2

City, ST 12345-0000

खाता संख्या #####

## **Adequacy Penalty Determination**

यह अवधारण यह अधिसूचित करने के लिए है कि आपको इन आरोपों से मुक्त नहीं किया जाऐगा कि नीचे सूचीबद्ध व्यक्तियों को गलत भ्गतान किया गया :

GS 96-11.4, के अंतर्गत एक नियोक्ता के खातें को संभवत: गलती से किए गए भुगतानों के आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता, यदि विभाग यह निर्धारित करता है कि निम्न दोनों लागू होतें हैं:

- 1. गलत राशि का भुगतान इसिलए किया गया था क्योंिक नियोक्ता अथवा नियोक्ता के ऐजेंट विभाग द्वारा बेरोजगारी हर्जाने के क्लेम से संबंधित की गई लिखित अपील का समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहे। यहां पर केवल गलत राशि भुगतान ही नही किया गया अपितु विभाग द्वारा उस क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए गई अपील का नियोक्ता या नियोक्ता के ऐजेट द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर न देना भी दूसरी स्थिति है।
- 2. नियोक्ता या ऐजेंट का विभाग द्वारा बेरोजगारी के हर्जाने के क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए की गई अपील का समय पर व ठीक प्रकार, उत्तर देने में असफल रहने का चलन स्थापित किया गया। विभाग द्वारा यह निर्धारित करने कि कहीं नियोक्ता या

ऐजेंट द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर न देने का चलन तो स्थापित नहीं किया गया, विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से दस्तावेजों के रूप में मौजूद नियोक्ता या ऐजेंट को कुल संख्या में की गई अपीलों का उनके द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहने के कुल उदाहरणों की संख्या पर विचार किया जाऐगा। एक नियोक्ता या ऐजेंट के लिए समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहने के चलन को स्थापित करना तब नहीं माना जाऐगा यदि पिछले वर्ष के दौरान की गई अपीलों का ठीक प्रकार से व समय पर उत्तर न देने की संख्या 2 से कम या 2 प्रतिशत (2%) से कम, जो भी उस नियोक्ता या ऐजेंट को की गई कुल अपीलों की संख्या से अधिक हो।

गलत भ्गतानों का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है :

## दावेदार का नाम एसएनएस बीवाईवी अतिरिक्त भुगतान की राशि अपील निर्णय की तिथि

John Doe xxx xx xxxx माह/दिन/वर्ष \$######.## माह/दिन/वर्ष

Jane Smith xxx xx xxxx माह/दिन/वर्ष \$#####.## माह/दिन/वर्ष

नियोक्ता इस अवधारण का विरोध, निर्धारण किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कर सकता है। यह अति आवश्यक है कि विरोध लिखित तौर पर किया गया हो व उसमें निम्न जानकारियां सम्मिलित हो :

- 1. निय्क्ति करने वाली ईकाई का नाम
- 2. निय्क्ति करने वाली ईकाई का पता
- 3. निय्क्ति करने वाली ईकाई की DES खाता संख्या
- 4. संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण व विरोध करने का कारण
- 5. विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व शीर्षक
- 6. उपयुक्तता दंड निर्धारण की एक प्रति

विरोध को डाक द्वारा या फैक्स से भेजे :

डाक: Post Office Box 25903

Raleigh, NC 27611-5903

फैक्स नंबर : 919.715.7642

## जानकारी के लिए की गई अपील का समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देकर यू आई संबंधित धोखाधड़ी को रोकने में हमारी सहायता करें।